भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न सं. 129
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार

*129. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2033 तक फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाने और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बागवानी कृषि क्षेत्र (फल और सब्जियां) को किसान रेल और कृषि उड़ान योजना जैसी योजनाओं से लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तर प्रदेश के बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार" के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 129 के भाग (क) से (ड.) का विवरण।

(क) से (ग): बागवानी क्षेत्र ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है, जिसमें फलों का उत्पादन 30 प्रतिशत वृद्धि के साथ 866 लाख मीट्रिक टन (2014-15) से बढ़कर 1129.7 लाख मीट्रिक टन (2023-24) हो गया है। इसी अवधि में, सब्जियों का उत्पादन 22 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1694.7 लाख मीट्रिक टन (2014-15) से बढ़कर 2072 लाख मीट्रिक टन (2023-24) हो गया है। फलों की उत्पादकता भी इसी अवधि में 14.17 से बढ़कर 15.80 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है, जबकि सब्जियों की उत्पादकता 17.76 से बढ़कर 18.40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि भविष्य की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है।

भारत सरकार बागवानी के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को देशभर में, जिसमें उत्तर प्रदेश का बागपत ज़िला भी शामिल है, क्रियान्वित कर रही है। जिसमें फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए उच्च उपज देने वाली उत्कृष्ट रोपण सामग्री का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना, उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण, पुराने बागों का पुनरुद्धार, उर्वरीकरण, संरक्षित खेती और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना आदि शामिल हैं।

सरकार ने भौगोलिक लाभ और बाजार संचालित बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एमआईडीएच के तहत नई पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत 58 उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई), बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एचसीडीपी) के तहत 55 क्लस्टरों की पहचान, स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) के लिए 9 केन्द्रों और 4 पोस्ट-एंट्री क्वारंटीन (पीईक्यू) सुविधाओं की स्थापना की गयी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और इसकी फसल-विशिष्ट संस्थाओं ने उच्च उत्पादकता वाली, रोग-प्रतिरोधी किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों और जलवायु-सहनशील तकनीकों पर अनुसंधान के माध्यम से बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, यह किसानों को प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और प्रभावी कीट प्रबंधन के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त, 2020 को फलों और सब्जियों सहित जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्रों से उपभोग/कमी वाले क्षेत्रों तक उचित समय में

पहुँचाने के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय रेलवे ने 167 मार्गों पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 7.9 लाख मीट्रिक टन जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुओं का परिवहन करते हुए 2364 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है।

कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य देश के विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित लाजिस्टिक सुनिश्चित करना है, ताकि उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। यह एक अभिसरण (कन्वर्जेंस) योजना है जिसके अंतर्गत आठ मंत्रालय/विभाग, अर्थात् नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, कृषि उपज के परिवहन हेतु लाजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लाजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाकर, इस योजना का उद्देश्य भारतीय कृषि को सुदृढ़ बनाना और किसानों की आय को बढ़ावा देना है।

कृषि उड़ान योजना देश के 58 हवाई अड्डों को कवर करती है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के 25 हवाई अड्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों के 33 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश में सभी जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत आती हैं, जिनमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने चयनित कृषि उड़ान हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहकों और पी2सी (पैसेंजर-टू-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयनित भारतीय विमान प्राधिकरण हवाई अड्डों पर रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) माफ किए जाते हैं।

****